शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–2207(2) /26–3–2012–4(358)/07–टी0सी0–2

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांकः 26 सितम्बर, 2012

विषय : उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली –2012 के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राओं, जिनके अभिभावकों की आय रू0 2.00 लाख वार्षिक से अनधिक है, को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के संबंध में संलग्न कार्यालय ज्ञाप संख्या–2207/26–3–2012–4(358)/07–टी0सी0–2, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 द्वारा " उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2012" जारी की गयी है। माह जुलाई, 2012 से प्रारम्भ शिक्षण सत्र से इस नियमावली के प्राविधान लागू होगें। अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र/छात्राओं को प्रश्नगत नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाये।

2– प्रश्नगत नियमावली के प्राविधानों को लागू करने के संबंध में शिक्षण सत्र 2012–13 के लिए निम्नलिखित समय–सीमा निर्धारित की जाती है :–

क0सं0	नियमावली के अनुरूप प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अन्तिम तिथि
1	मास्टर डाटाबेस में संस्थाओं एवं पाठयक्रमों का पंजीकरण	31–10–2012
2	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना	30–11–2012
3	शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी सस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित किया जाना	15–12–2012

	ग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रम की पात्रता के संबंध में अपनी संस्तुति "छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति" को प्रेषित किया जाना।	31–12–2012
5	"छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति" के स्वीकृत आदेश सहित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सूचित किया जाना	15–1–2013
6	छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अंतरित किया जाना	31–1–2013
7	छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर/वेवसाइट को एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा लॉक करने की तिथि	31–1–2013

3– उपरोक्त समय–सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जाय। प्रथम सेमेस्टर के पश्चात परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा आदि में सम्मिलित होने के पश्चात अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्रों को दूसरे सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय चरण में जनरेट कराकर बेवसाइट पर अलग से निर्मित साफ्टवेयर पर अपलोड कराकर प्रदर्शित कराये जाने के उपरांत निदेशक समाज कल्याण से धनराशि की मांग की जायेगी। द्वितीय चरण की धनराशि को बेवसाइट पर अपलोड कराने की अन्तिम तिथि 01–02–2013 होगी तथा स्वीकृत धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के खाते में दिनांक 15–02–2013 तक अंतरित कर दी जायेगी।

4– प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं का विवरण जनपद स्तर पर अलग से तैयार कराया जायेगा तथा इस संबंध में निदेशक समाज कल्याण द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से समुचित साफ्टवेयर तत्काल तैयार कराया जाये।

कृपया नियमावली के प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समय सारणी के अनुसार वितरित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(सदाकान्त) 26/9/12.
प्रमुख सचिव

.....3

राकेश जी0ओ0

संख्या— (1) /26—3—2012 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई—मेल के माध्यम से भेजें।

4— समस्त मण्डलीय संयुक्त एवं उपनिदेशक, समाज कल्याण।

5— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6— निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

7— सलाहकार, समाज कल्याण विभाग।

8— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3।

9— गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बी0बी0सिंह)
विशेष सचिव